28.6.22 पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने वाद पत्र की वहस सुने जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रतिवादी सं० 1 के विरुद्ध पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। प्रतिवादी सं० 2 ता 5 की ओर से इकबाल दावा पेश किया जा चुका है। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। वकील वादी की एकपक्षीय वहस सुनी गई। हौसाने वहस वकील वादी ने निवेदन किया कि तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार भूमि का विभाजन करते हुए पक्षकारान को खसेदार घोषित किया जावे। वहस पर मनन किया जाने पर पाया गया कि तहसील से प्राप्त

फर्द अहकाम

नं० हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रस्ताव अनुसार भूमि का विभाजन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार करते हुए वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज कृषि भूमि तहसील घड़साना के पक्ष 2 GM-A का प.नं. 46/14 मु.नं. 14 के किला नं. 1/0.202, 2/0.026 की 0.228 हैक्टेयर, प.नं. 46/6 मु.नं. 15 के किला नं. 1 ता 5 प्रत्येक सालम मय खाता, 6/0.114, 7/0.240, 8 ता 12 सालम, 13/0.202, 14/0.026, 19/0.126, 20/0.240, 21/0.026 की 3.504 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 3.732 हैक्टेयर रकबा मय खाता कृषि भूमि का बंटवारा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य तहसील प्रस्ताव अनुसार किया जाकर पर्चा डिक्री जारी किया जाता है। पर्चा डिक्री आदेश का भाग रहेगा। पत्रावली खा, तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.06.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना